न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 20/2025 GCMS No.—2025/64

रघुनाथ जाट पुत्र श्री रामानन्द जाट जाति जाट निवासी ढाणी टोडावतान की ग्राम कपूरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

..........निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत कपूरावाला, पं.स. सांगानेर, जरिये सरपंच/सचिव।
2. दुर्गालाल जाट पुत्र श्री लादूराम जाट जाति जाट निवासी ढाणी टोडावतान की ग्राम कपूरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 श्री सरदार सिंह जाति राजपूत निवासी 96 बुर्जा का बास, ग्राम कपूरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.............विपक्षीगण

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल संख्या 4 दायर दिनांक 21.09.2001 जारी दिनांक 21.04.2003 पट्टा संख्या 76

1. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री महेश चंद योगी अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से।
3. श्री रघुवीर सिंह राठौड अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 3 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 08.12.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत कपूरावाला, पंचायत समिति सांगानेर के मिसल संख्या 4 दायर दिनांक 21.09.2001 की पालना में आदेश दिनांक 21.04.2003 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 दुर्गालाल जाट पुत्र श्री लादूराम जाट निवासी ढाणी टोडावतान की ग्राम कपूरावाला तहसील सांगानेर के पक्ष में पट्टा संख्या 76 जारी किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 24.04.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर कोई उपस्थित नहीं आया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश चंद योगी उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम पंचायत में निगरानीधीन पट्टा पत्रावली अनुपलब्ध है। विकास अधिकारी पं.स. सांगानेर से मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1566 दिनांक 27.11.2025 से प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अभिभाषकउभय पक्ष सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार द्वारा अपने स्वयं की पुख्ता पूर्व आबादी एवं कब्जाशुदा भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत कपूरावाला के समक्ष आवासीय पट्टा लेने हेतु आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा जरिये संकल्प संख्या 3 दिनांक 28.11.2019 की अनुपालना में ग्राम पंचायत की कोरम द्वारा

निगरानीकार को अवासीय पट्टा संख्या 187 दिनांक 05.12.2020 को जारी किया गया। निगरानीकार ग्राम पंचायत कपूरावाला द्वारा जारी पट्टाशुदा भूखण्ड के चारो ओर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल बनाकर पट्टाशुदा भूखण्ड का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। दिनांक 20.04.2025 को गैर निगरानीकार संख्या 2 मौके पर उपस्थित होकर निगरानीकार के भूखण्ड की बाउण्ड्रीवाल तोडकर निगरानीकार के भूखण्ड पर अतिक्रमण करने की कोशिश की गयी एवं स्वयं के पक्ष में पट्टा होने के तथ्य से अवगत कराया गया। निगरानीकार को निगरानीधीन पट्टे की जानकारी दिनांक 22.04.2025 को हुयी एवं ग्राम पंचायत कपूरावाला द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में कोई पट्टा जारी नहीं करने के तथ्यों से अवगत कराया गया। रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पट्टो की छायाप्रति के आधार पर ही निगरानी पेश की गयी है। गैर निगरानीकार संख्या 2 को जारी पट्टे पर न तो कहीं सचिव के हस्ताक्षर है एवं पट्टा दिये जाने से पूर्व कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में कोई आवेदन नहीं दिया गया एवं ना ही वार्डपंचगण द्वारा मौका निरीक्षण किया गया एवं ना ही कोई आपत्ति नोटिस जारी किया गया। उक्त निगरानीधीन पट्टा विधिक प्रावधानो के विपरीत होने के कारण बैक डेट में जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त पट्टा जारी किये जाने बाबत कार्यवाही रजिस्टर में कोई विधिक कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी। ग्राम पंचायत कपूरावाला द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में निगरानीधीन पट्टा जारी किये जाने में पंचायती राज अधिनियम 1994 व नियम 1996 की पालना नहीं की गयी। निगरानीकार को दिनांक 22.04.2025 को गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में जारी पट्टो की जानकारी होते ही अविलम्ब माननीय न्यायालय में निगरानी पेश की है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार जाकर ग्राम पंचायत कपूरावाला, पंचायत समिति सांगानेर के आदेश दिनांक 21.04.2003 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में जारी पट्टा संख्या 76 निरस्त किया जावे।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्धान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की गयी है। निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार संख्या 2 एक ही कुटुम्ब के सदस्य है, एवं निगरानीकार द्वारा कूटरचित तरीके से अपने पक्ष में कूटरचित पट्टा प्राप्त कर लिया है जो प्रारम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी है। गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा उक्त आबादी भूमि गत खसरा नंबर 186 रकबा 1 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 297 है को इसके पूर्व स्वामी श्री रामसहाय पुत्र रूगनाथ जाति धानका से जरिये इकरारनामा दिनांक 04.06.1999 क्रय किया एवं वर्तमान में निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर काबिज है। गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा निगरानीधीन पट्टे को ग्राम पंचायत कपूरावाला से प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 20.04.2023 द्वारा प्रस्ताव पारित एवं नियमानुसार ग्राम पंचायत में शुल्क जमा करवाकर पंजीयन कार्यालय से रजिस्टर्ड करवा लिया है। गैर निगरानीकार संख्या 3 द्वारा जनवरी

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

2025 में माननीय सिविल न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमें निगराधीन पट्टे की भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 2 का कब्जा मानते हुए वाद प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकार के हक में पट्टा संख्या 187 दिनांक 05.12.2020 को कूटरचित एवं फर्जी तरीके से जारी कर दिया जबकि गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में दिनांक 21.04.2003 को पट्टा जारी किया हुआ है। गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में जारी पट्टा पूर्णतया सही एवं वैध है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज अधिनियम की पूर्ण पालना करते हुए गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकार का निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर किसी प्रकार से कोई कब्जा नहीं है एवं निगरानीकार स्वयं को जारी पट्टे की आड में गैर निगरानीकार संख्या 2 की पट्टेशुदा भूमि पर कब्जा करना चाहते है। निगरानीकार द्वार मनगढन्त, झूठे, तथ्यो के आधार पर निगरानी पेश की गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 3 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार संख्या 2 को अवैधानिक तरीके से निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। उक्त निगरानीधीन पट्टे की आड में गैर निगरानीकार संख्या 3 के स्वामित्व की कृषि खसरा नंबर 442 जो आबादी भूमि खसरा नंबर 297 से लगती हुई पर कब्जा करना चाहते है। निगरानीकार एवं अप्रार्थी संख्या 2 जिस आबादी भूमि के पट्टे की आड में भूमि पर निर्माणात करना चाहते है वह भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। जिसका सीमा ज्ञान भी प्रार्थी द्वारा वर्ष 2024 में करवाया जा चुका है। गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किये जाने पर गैर निगरानीकार संख्या 3 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। अतः ग्राम पंचायत कपूरावाला द्वारा निगरानीकार के हक में जारी पट्टा संख्या 187 एवं गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में जारी निगरानीधीन पट्टो को निरस्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसर ग्राम पंचायत कपूरावाला द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में संकल्प संख्या 4 आदेश दिनांक 21.04.2003 द्वारा गैर निगराननीकार संख्या 2 के हक में पंचायती राज नियम 150 से 152 के तहत पट्टा संख्या 76 जारी किया गया है। ग्राम पंचायत में निगरानीधीन पट्टा पत्रावली अनुपलब्ध है इसलिए प्रकरण का निस्तारण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। पंचायत राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में मियाद के बिन्दु पर कोई अवधारणा निर्धारित नहीं की गयी है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य दलील है कि निगरानीकार के हक में ग्राम पंचायत द्वारा आदेश दिनांक 05.12.2020 द्वारा पट्टा संख्या 187 जारी किया गया है एवं गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा पूर्व में ही उक्त भूमि का

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अवैध पट्टा जारी करवा लिया गया। न्यायालय हाजा को आबादी भूमि में किसी के हक, हकूक, अधिकार तय करने बाबत क्षेत्राधिकार प्रदत्त नहीं है। पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 में निहित प्रावधानो अनुसार हस्तगत निगरानी में न्यायालय हाजा को गैर निगरानीकार संख्या 2 को जारी निगरानीधीन पट्टा अभिलेख, की विधिकता की जांच की जानी है। विचाराधीन निगरानी में विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर से निगरानीधीन पट्टे के संबंध में विस्तृत मौका एवं जांच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1566 दिनांक 27.11.2025 प्राप्त हुयी। विकास अधिकारी सांगानेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार पट्टा संख्या 75, 76 पर अंकित बुक संख्या, दायर दिनांक, जारी दिनांक एक ही अंकित है जबकि पट्टा संख्या 75 व 76 के पट्टा प्रारूप अलग–अलग है इन पट्टो को प्रारूप तत्समय ग्राम पंचायत द्वारा उपयोग में ली गयी पट्टा बुक के पट्टो के प्रारूप से भिन्न है एवं पट्टो पर सरपंच के हस्ताक्षर भी भिन्न पाये गये है। विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर से प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट में निगरानीधीन पट्टा कूटरचित पाया गया है। गैर निगरानीकार द्वारा निगरानीधीन पट्टे की वैधानिकता के संबंध में कोई तथ्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। निगरानीधीन पट्टे की पत्रावली एवं पट्टा जारी किये जाने संबंधी कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है साथ ही इसलिए निगरानीधीन पट्टे की वैधानिकता भी संदिग्ध प्रतीत होती है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजात एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कपूरावाला, पंचायत समिति सांगानेर के मिसल संख्या 4 दायर दिनांक 21.09.2001 एवं संकल्प संख्या 3 दिनांक 21.04.2003 के तहत आदेश दिनांक 20.05.2013 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 दुर्गालाल जाट पुत्र श्री लादूराम जाट जाति जाट निवासी ग्राम कपूरावाला, तहसील सांगानेर के हक में जारी पट्टा संख्या 76 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत, कपूरावाला, पं.स. सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) की जाती है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के तहत निगरानीधीन पट्टे की भूमि के संबंध में गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जयपुर

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर